पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 जनवरी, 2011 ई0 (पौष 11, 1932 शक सम्वत्) [संख्या–01

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	1–4	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1–3	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

नियोजन अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति

19 अक्टूबर, 2010 ई0

संख्या 165 / XXVI / एक(12) / 2008–श्री चन्दन लाल, जो संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग के पद पर कार्य कर रहे हैं, के संबंध में शासन के समक्ष यह तथ्य लाया गया कि वे राज्य गठन के समय शोध अधिकारी के पद पर नियमित रूप से कार्यरत नहीं थे, बल्कि तदर्थ रूप से कार्यरत थे, जिनके संबंध में विभागीय स्तर पर जांच की गयी और यह पाया गया श्री चन्दन लाल शोध अधिकारी के पद पर नियमित नहीं थे। तद्नुसार उनकी वर्ष 2002 में वरिष्ठ शोध अधिकारी एवं वर्ष 2005 में संयुक्त निदेशक के पदों पर की गयी पदोन्नतियां नियमित नहीं थी। इस संबंध में विभागीय स्तर पर व्यापक विचार–विमर्श के उपरान्त श्री लाल को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत कर उनसे आसन्न कनिष्ठ अधिकारी के शोध अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि से नियमित शोध अधिकारी एवं उनसे आसन्न कनिष्ठ वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि से नियमित रूप से वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद पर दिनांक 15–09–2009 को पदोन्नति प्रदान की गयी, किन्तु श्री चन्दन लाल द्वारा उक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण न करते हुए लोक सेवा अधिकरण एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग में वाद दायर कर दिया गया। श्री लाल द्वारा दायर किये गये वादों पर विभाग स्तर पर भी प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

चूंकि, श्री लाल पूर्व से ही शोध अधिकारी, वरिष्ठ शोध अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक के पद पर कार्य कर चुके हैं, अतः श्री लाल के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नैसर्गिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सेवाओं को विनियमित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा इन पदों पर की गयी सेवा को परिवीक्षा अवधि मानते हुए यह मान लिया गया कि उनके द्वारा इन पदों पर अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली गयी है। तद्नुसार श्री लाल को तत्काल प्रभाव से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित संयुक्त निदेशक के रिक्त पद पर वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे–7600 पर अस्थायी रूप से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री लाल को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

श्री लाल को नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है।

विज्ञप्ति / पदोन्नति

19 अक्टूबर, 2010 ई0

संख्या 166 / XXVI / एक(12) / 2008–राज्य योजना आयोग में कार्यरत निम्नलिखित शोध अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उनके नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद पर वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे–6600 पर अस्थायी रूप से पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

<u>वरिष्ठ शोध अधिकारी</u> :

1. श्री चतुर सिंह तुलेरा
2. श्री के0सी0 पंत

2–उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3–उक्त अधिकारियों को वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद पर नियमानुसार 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति / पदोन्नति / समायोजन

30 नवम्बर, 2010 ई0

संख्या 1067 / 2010 / 10(100) / XXVII(8) / 10–तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चयन वर्ष 2010–11 में अपर आयुक्त, वेतनमान ₹ 37400–67000 + ग्रेड वेतन 8900 के एक अधिसंख्य पद के सापेक्ष नियमित चयनोपरान्त श्री अनिल कुमार गुप्ता को पदोन्नत करते हुए अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2–इसी क्रम में श्रीमती कुमकुम गुप्ता को अपर आयुक्त (प्रवर्तन), वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून के पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

3–उक्तानुसार प्रदान किये गये अतिरिक्त कार्यभार के लिए संबंधित अधिकारी को पृथक से कोई वेतन / भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

4–उक्तानुसार पदोन्नत / समायोजित अधिकारी तत्काल अपनी नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

राधा रतूड़ी,
सचिव।

ऊर्जा विभाग

कार्यालय ज्ञाप

30 नवम्बर, 2010 ई0

संख्या 2732 / I / 2010–02(3) / 20 / 2003–श्री वी0जे0 तलवार, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का तकनीकी सदस्य, विद्युत अपीलीय प्राधिकरण (APTEL) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर चयन होने के फलस्वरूप अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पद से त्यागपत्र सम्बन्धी पत्र संख्या : 1400 / यूईआरसी / 2010, दिनांक 29–10–2010 के क्रम में श्री वी0जे0 तलवार का त्यागपत्र विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 89 (4) (ए) के अंतर्गत एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है।

श्री वी0जे0 तलवार का त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने के कारण अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के रिक्त पद पर नियमित चयन / नियुक्ति होने तक श्री आनंद कुमार, सदस्य, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अपने कार्यों के साथ–साथ अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का कार्य भी देखेंगे।

श्री आनंद कुमार को इस हेतु कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

आबकारी अनुभाग

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

01 दिसम्बर, 2010 ई0

संख्या 929 / XXIII / 2010 / 40 / 2004—तात्कालिक प्रभाव से श्री अरविन्द कुमार लोहनी, सहायक आबकारी आयुक्त को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उप आबकारी आयुक्त (वेतनमान रुपये 15600–39100, ग्रेड वेतन रुपये 6600) के रिक्त पद पर मौलिक रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। श्री लोहनी एक वर्ष के लिए परिवीक्षावधीन रहेंगे।

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट / 02–भाग 1–2011 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 जनवरी, 2011 ई0 (पौष 11, 1932 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) ऋषिकेश

आदेश

दिनांक 15 सितम्बर, 2010 ई0

पत्रांक 524/लाईसेंस/10–श्री सोहन सिंह पुत्र श्री बुद्धि सिंह निवासी–ग्राम चामी पट्टी नैलचामी, घनसीली, जिला टिहरी गढ़वाल को वाहन सं0 UA07S–1829 का संचालन दिनांक 16–3–09 को क्षमता से अधिक सवारी ढोने व फ्रन्ट सीट पर 3 व्यक्ति बैठाने व जनवरी, 2008 में भी आपके द्वारा लाठा चमियाला के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त किया था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी। जिस कारण पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल द्वारा उनके लाईसेंस सं0 2171/RKS/06 जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्के व्यवसायिक वाहन चलाने हेतु जारी किया गया है, के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। लाईसेंसधारक को सुनवाई हेतु नोटिस दिया गया। इस संबंध में उपरोक्त वाहन चालक द्वारा अपना कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

अतः, मैं सुधाकर चन्दोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त लाईसेंस सं0 2171/RKS/06 को निरस्त करता हूं।

दिनांक 15 सितम्बर, 2010 ई0

पत्रांक 525/लाईसेंस/10–श्री मनोज राणा पुत्र श्री प्रेम सिंह राणा, निवासी–ग्राम जसकोट, पट्टी थौलधार, जिला टिहरी गढ़वाल को वाहन सं0 UP08–5886 का संचालन शराब के नशे में करने के कारण पुलिस अधीक्षक, टिहरी ने उनके लाईसेंस सं0 1908/T/RKS/00 जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्के व्यवसायिक वाहन चलाने हेतु जारी किया गया है, के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। लाईसेंसधारक को सुनवाई हेतु नोटिस दिया गया। इस संबंध में उपरोक्त वाहन चालक द्वारा अपना कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

अतः , मैं सुधाकर चन्दोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त लाईसेंस सं0 1908/T/RKS/00 को निरस्त करता हूं।

दिनांक 15 सितम्बर, 2010 ई0

पत्रांक 525/1/लाईसेंस/10–श्री बुद्धिराम पुत्र श्री शिवचरण महड, शिवपुरी, नैलचामी, टिहरी को वाहन सं0 UA07B-1095 का संचालन शराब के नशे में करने के कारण थानाध्यक्ष, थाना चम्बा घनसाली, टिहरी द्वारा उनके लाईसेंस सं0 2302/RKS/06 जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्के व्यवसायिक वाहन चलाने हेतु जारी किया गया है, के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। लाईसेंसधारक को सुनवाई हेतु नोटिस दिया गया। इस संबंध में उपरोक्त वाहन चालक द्वारा अपना कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

अतः, मैं सुधाकर चन्दोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त लाईसेंस सं0 2302/RKS/06 को निरस्त करता हूं।

दिनांक 15 सितम्बर, 2010 ई0

पत्रांक 526/लाईसेंस/10–श्री मंगल सिंह पुत्र श्री प्रीथ सिंह, निवासी–ग्राम पाब, पो0 बराली, जिला उत्तरकाशी को वाहन सं0 UK10TA-0012 का संचालन शराब के नशे में करने के कारण पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी द्वारा उनके लाईसेंस सं0 M-2798/RKS/99 जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्के व्यवसायिक वाहन चलाने हेतु जारी किया गया है, के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। लाईसेंसधारक को सुनवाई हेतु नोटिस दिया गया। इस संबंध में उपरोक्त वाहन चालक द्वारा अपना कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

अतः, मैं सुधाकर चन्दोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त लाईसेंस सं0 M-2798/RKS/99 को निरस्त करता हूं।

दिनांक 15 सितम्बर, 2010 ई0

पत्रांक 527/लाईसेंस/10–श्री विजय सिंह पुत्र श्री फते सिंह, निवासी–ग्राम जोगत, उत्तरकाशी को वाहन सं0 DL1LG-3601 का संचालन खतरनाक ढंग से करते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मारकर मार दिया। जिस कारण असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ट्रैफिक नॉर्थ जोन द्वारा उनके लाईसेंस सं0 848/T/RKS/05 जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्के व्यवसायिक वाहन चलाने हेतु जारी किया गया है, के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। लाईसेंसधारक को सुनवाई हेतु नोटिस दिया गया। इस संबंध में उपरोक्त वाहन चालक द्वारा अपना कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

अतः, मैं सुधाकर चन्दोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त लाईसेंस सं0 848/T/RKS/05 को निरस्त करता हूं।

दिनांक 23 सितम्बर, 2010 ई0

पत्रांक 535/लाईसेंस/10–श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री रतन दास, निवासी–ग्राम तौली पट्टी तल्ला उदयपुर, जिला पौड़ी गढ़वाल को वाहन सं0 UA07C-7952 का संचालन दिनांक 7–9–08 को शराब के नशे में खतरनाक ढंग से किया जा रहा था। जिस कारण पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा आपके लाईसेंस सं0 M-86/RKS/01 जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्की व्यवसायिक वाहन चलाने हेतु जारी किया गया है, के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। लाईसेंसधारक को सुनवाई हेतु नोटिस दिया गया। इस संबंध में उपरोक्त वाहन चालक द्वारा अपना कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

अतः, मैं सुधाकर चन्दोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त लाईसेंस सं0 M-86/RKS/01 को निरस्त करता हूं।

दिनांक 23 सितम्बर, 2010 ई0

पत्रांक 536/लाईसेंस/10–श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री प्यारे सिंह, निवासी–ग्राम पपडियाणा, थाना गोपेश्वर, जनपद चमोली, गढ़वाल को वाहन सं0 UP07K-9861 का संचालन दिनांक 12–7–08 को शराब के नशे में खतरनाक ढंग से किया जा रहा था। जिस कारण पुलिस अधीक्षक, चमोली द्वारा आपके लाईसेंस सं0 D-1960/RKS/98 जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्की व्यवसायिक वाहन चलाने हेतु जारी किया गया है, के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। लाईसेंसधारक को सुनवाई हेतु नोटिस दिया गया। इस संबंध में उपरोक्त वाहन चालक द्वारा अपना कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

अतः, मैं सुधाकर चन्दोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त लाईसेंस सं0 D-1960/RKS/98 को निरस्त करता हूं।

दिनांक 23 सितम्बर, 2010 ई0

पत्रांक 537/लाईसेंस/10–श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री चैत सिंह, निवासी–सुभाषनगर, थाना कर्णप्रयाग को वाहन सं0 UA11-1054 का संचालन दिनांक 4–12–08 को शराब के नशे में खतरनाक ढंग से किया जा रहा था। जिस कारण पुलिस अधीक्षक, चमोली द्वारा आपके लाईसेंस सं0 J-604/RKS/02 जो कि इस कार्यालय द्वारा भारी व्यवसायिक वाहन चलाने हेतु जारी किया गया है, के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। लाईसेंसधारक को सुनवाई हेतु नोटिस दिया गया। इस संबंध में उपरोक्त वाहन चालक द्वारा अपना कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

अतः, मैं सुधाकर चन्दोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त लाईसेंस सं0 J-604/RKS/02 को निरस्त करता हूं।

दिनांक 23 सितम्बर, 2010 ई0

पत्रांक 538/लाईसेंस/10–श्री किशोर सिंह पुत्र श्री शिव सिंह, निवासी–आशुतोषनगर, जिला देहरादून को वाहन सं0 UA07R-8559 का संचालन दिनांक 8–5–08 को शराब के नशे में खतरनाक ढंग से किया जा रहा था। जिस कारण प्रभारी निरीक्षक, प्रभारी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, श्यामपुर थाना कोतवाली, ऋषिकेश द्वारा आपके लाईसेंस सं0 K-1885/RKS/05 जो कि इस कार्यालय द्वारा भारी व्यवसायिक वाहन चलाने हेतु जारी किया गया है, के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। लाईसेंसधारक को सुनवाई हेतु नोटिस दिया गया। इस संबंध में उपरोक्त वाहन चालक द्वारा अपना कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

अतः, मैं सुधाकर चन्दोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त लाईसेंस सं0 K-1885/RKS/05 को निरस्त करता हूं।

दिनांक 23 सितम्बर, 2010 ई0

पत्रांक 539/लाईसेंस/10–श्री अवतार सिंह पुत्र श्री अब्बल सिंह, निवासी–वार्ड नं0 13, बाडाहाट, उत्तरकाशी को वाहन सं0 UK10TA-0012 का संचालन दिनांक 15–8–08 को शराब के नशे में खतरनाक ढंग से किया जा रहा था। जिस कारण पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी द्वारा आपके लाईसेंस सं0 A-1479/RKS/04 जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्की व्यवसायिक वाहन चलाने हेतु जारी किया गया है, के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। लाईसेंसधारक को सुनवाई हेतु नोटिस दिया गया। इस संबंध में उपरोक्त वाहन चालक द्वारा अपना कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया।

अतः, मैं सुधाकर चन्दोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त लाईसेंस सं0 A-1479/RKS/04 को निरस्त करता हूं।

सुधाकर चन्दोला,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
ऋषिकेश।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/02–भाग 1–क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।